

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

गंगा बिशुन सिंह

बनाम

सुरेश प्रसाद सिंह

प्रथम अपील संख्या- 326/1986

20 नवंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के बीच विभाजन के मुकदमे में सही निर्णय दिया है?

हेडनोट्स

प्रथम अपील---संयुक्त हिंदू परिवार में विभाजन----स्वामित्व और कब्जे की एकता-----मैस और निवास में पृथक्करण बनाम मेट्स और बाउंड्स द्वारा विभाजन----विभाजन मुकदमे में पारित प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपील जिसमें पक्षकारों के संबंधित हिस्से अलग-अलग कर दिए गए थे----अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि वादी के पास मुकदमे के लिए कोई कारण नहीं था क्योंकि मेट्स और बाउंड्स द्वारा विभाजन पक्षकारों के बीच दिनांक 28.07.1972 (पंचनामा) के एक समझौते के द्वारा पहले ही हो चुका था और उक्त समझौते के अनुसार, पक्षकारों को आवंटित संपत्तियों पर विशेष कब्जा प्राप्त हुआ था।

निर्णय: यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक संयुक्त हिन्दू परिवार तब तक संयुक्त बना रहता है जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए और संयुक्तता, भोजन, पूजा और संपदा में संयुक्तता की सामान्य धारणा हो----संपत्ति के साथ अलग-अलग व्यवहार, अलग-अलग भोजनालय और निवास अपने आप में विभाजन को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उनका

संचयी प्रभाव यह दर्शा सकता है कि पक्षों के बीच विभाजन हुआ था----अपीलकर्ताओं द्वारा जिस दिनांक 28.07.1972 के समझौता विलेख (पंचनामा) पर भरोसा किया गया है, वह विभाजन का ज्ञापन या समझौता विलेख नहीं है और विद्वान निचली अदालत ने सही रूप से माना है कि अपंजीकृत दस्तावेज होने के कारण यह भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(बी) के प्रावधान के अंतर्गत आता है----इसके अलावा, उक्त विभाजन विलेख पर सभी सह-हिस्सेदारों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे----भोजनालय में अलग होना और सह-हिस्सेदारों के बीच अलग-अलग खेती का अर्थ यह नहीं है कि सीमाओं के आधार पर विभाजन हुआ था----सर्वेक्षण जानने वाले वकील आयुक्त को नियुक्त किया गया था और उनकी ईमानदारी या सावधानी के बारे में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। वे विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा बनाए गए अनुमोदित सूची में से एक थे और सर्वेक्षण जानने वाले वकील आयुक्त ने पक्षों की उपस्थिति में स्थानीय जांच की और बारबाडा और विभाजन मानचित्रों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है---- विभाजन का काम पक्षों और उनके खरीदार की सुविधा के संतुलन और पक्षों के ब्लॉक की कॉम्पैक्टनेस को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां तक व्यवहार्यता है---- सर्वेक्षण जानने वाले वकील आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करके विवाद करना उचित नहीं है--- आरोपित निर्णयों और डिक्री (प्रारंभिक और अंतिम) में कोई कमी नहीं है--- अपील खारिज की जाती है। (पैरा- 15, 19, 34, 35, 37, 48-51)

विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के बीच अंतर---- विभाजन वाद का निर्णय दो चरणों में किया जाता है, अर्थात् प्रथम चरण में प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है तथा द्वितीय चरण में अंतिम डिक्री पारित की जाती है----विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री केवल पक्षकारों के अधिकारों तथा संयुक्त परिवार या सहदायिक संपत्ति में उनके हिस्से की घोषणा होती है, जो वाद का विषय है----प्रारंभिक डिक्री पारित होने के पश्चात, वाद तब तक जारी रहता है जब तक कि अंतिम डिक्री पारित न हो जाए, जिसमें सीमा और बंधन द्वारा विभाजन को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। (पैरा-13)

पंजीकरण अधिनियम---धारा 17, 49---- विभाजन विलेख का पंजीकरण----पंजीकरण न कराने का प्रभाव--- विभाजन के दस्तावेज में, संपत्ति का विशिष्ट हिस्सा प्रत्येक हिस्सेदार को सीमाओं के आधार पर आवंटित किया जाता है, जिसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह एक गैर-वसीयती दस्तावेज है, जो 100/- रुपये और उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, शीर्षक या हित बनाने या घोषित करने का दावा करता है---- पंजीकरण अधिनियम की धारा 49(सी) में अपंजीकृत दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में लिए जाने से बाहर रखा गया है----कानून में यह स्थापित है कि विभाजन विलेख को अग्राह्य मानने से इंकार करने के बावजूद, विभाजन के विवरण को साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य स्वीकार्य हो सकते हैं---यदि ज्ञापन स्वयं अचल संपत्ति में किसी अधिकार का सृजन या उन्मूलन नहीं करता है, तो विभाजन के उक्त ज्ञापन को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है---- समझौते की प्रकृति वाले पारिवारिक व्यवस्था को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 30, 31)

न्याय दृष्टान्त

काले एवं अन्य. बनाम उप निदेशक चकबन्दी एवं अन्य। (1976) 3 एससीसी 119; रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य। बनाम मंजीत कौर एवं अन्य। (2020) 9 एससीसी 706; के. अरुमुगा वेलैया बनाम। पी.आर. रामासामी और अन्य (2022) 3 एससीसी 757; देवकी मल्लाह बनाम. सुरजी मल्लाहिन एवं अन्य, 1999 (1) पीएलजेआर 199; मधुसूदन दास बनाम. नारायणीबाई (मृतक) एलआर के माध्यम से। और अन्य. (1983) 1 एससीसी 35; चंदन मुल इंद्र कुमार बनाम. चिमनलाल गिरधरदास एआईआर 1940 पीसी 3; जुगेश्वर सिंह बनाम. रिझन सिंह, एआईआर 1938 पटना 104; अम्बिका भवानी देवी बनाम. गौरी कुमारी देवी एआईआर (34) 1947 पटना 271पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता; पंजीकरण अधिनियम

मुख्य शब्दों की सूची

संयुक्त हिंदू परिवार में विभाजन----स्वामित्व और कब्जे की एकता-----मैस और निवास में अलगाव----मेट्स और बाउंड्स द्वारा विभाजन--- विभाजन मुकदमे में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री---- संयुक्तता की धारणा---- विभाजन का तथ्य---- विभाजन के ज्ञापन का पंजीकरण--- विभाजन विलेख के गैर-पंजीकरण का प्रभाव---- विभाजन को प्रभावी करने के लिए आयोग---- सर्वेक्षण जानने वाले वकील आयुक्त द्वारा स्थानीय जांच और रिपोर्ट पर आपत्तियाँ।

प्रकरण से उत्पन्न

प्रारंभिक डिक्री दिनांक 08.04.1986 तथा अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2016 विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश-III, वैशाली द्वारा हाजीपुर में विभाजन वाद संख्या 26/1981 में पारित की गई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(प्रथम अपील संख्या 326/1986 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री नरेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता

हेडनोट बनाया गया: घनश्याम

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रथम अपील सं. 84/2016

=====

गंगा बिशुन सिंह पिता- स्वर्गीय श्री बिहारी सिंह, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और जिला-हाजीपुर (प्रतिवादी संख्या 2) ।

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. सुरेश प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
2. सिंगेश्वर प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली।
3. मसोमात गुलाबो देवी पति स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
4. दिलीप कुमार सिंह पिता हरिहर सिंह, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और जिला, हाजीपुर।
5. अनूप कुमार सिंह पिता हरिहर सिंह, निवासी मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और जिला-हाजीपुर।
6. मसोमात उषा देवी पति स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह, मोहल्ला निवासी-शहजादपुर अंदरकिला और जिला-हाजीपुर।
7. किशोर कुमार पिता स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह, मोहल्ला निवासी-शहजादपुर अंदरकिला और जिला-हाजीपुर।
8. कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह, मोहल्ला निवासी-शहजादपुर अंदरकिला और जिला-हाजीपुर।
9. सरिता देवी पिता स्वर्गीय हरिहर सिंह और पति स्वर्गीय बच्चा सिंह सौहारी, निवासी ग्राम- हरखौली, पोस्ट- और थाना- मीरगंज, जिला-गोपालगंज।
10. मुन्नी देवी पिता स्वर्गीय हरिहर सिंह और पति राम बहादुर सिंह सौहारी, निवासी ग्राम- हरखौली, कुशवाहा मोड़, पोस्ट और थाना- मीरगंज, जिला-गोपालगंज।

11. मीरा देवी पति स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
12. संजय सिंह पिता स्वर्गीय शिवनाथ सिंह, मोहल्ला निवासी-शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
13. सुधीर कुमार पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, मोहल्ला निवासी-शहजादपुर अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली।
14. श्रीमती रानी देवी पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह और पति राज कुमार सिंह मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
15. सुभाष सिंह नाबालिग पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, अपनी मां मीरा देवी पति स्वर्गीय शिव नाथ सिंह के संरक्षकत्व में, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और थाना - हाजीपुर, जिला-वैशाली।
16. बिक्रम सिंह नाबालिग पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, अपनी मां मीरा देवी पति स्वर्गीय शिव नाथ सिंह के संरक्षकत्व में, मोहल्ला निवासी- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
17. पूजा कुमारी नाबालिग पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, मोहल्ला निवासी-शहजादपुर अंदरकिला अपनी माँ मीरा देवी पति स्वर्गीय शिव नाथ सिंह के संरक्षकत्व में और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
18. सीता देवी पति सरयुग प्रसाद सिंह और पिता स्वर्गीय बिहारी सिंह, निवासी गाँव- करौना, वर्तमान में मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला, हाजीपुर और जिला-वैशाली।
20. मीना देवी पिता जय नारायण सिंह और पति बिजली सिंह उर्फ कुंदन सिंह, निवासी ग्राम- लालवाडी, पोस्ट- माझाउली, जिला-पूर्णिया।
21. मुन्नी देवी पिता जय नारायण सिंह और पति देवेंद्र सिंह, गाँव-महाराजपुर, पोस्ट- मंझौली, जिला-पूर्णिया की निवासी।
22. राज कुमार सिंह पिता जय नारायण सिंह, गाँव-कजरी राहिका विश्वासपुर, पोस्ट- डगरुआ हाट, जिला-पूर्णिया की निवासी।
23. पप्पु सिंह पिता जय नारायण सिंह, गाँव-कजरी राहिका विश्वासपुर, पोस्ट-- दगरुआ हाट, जिला-पूर्णिया के निवासी।

24. जितेंद्र सिंह पिता जय नारायण सिंह, गाँव-कजरी राहिका विश्वासपुर, पोस्ट- डगरुआ हाट, जिला-पूर्णिया के निवासी।
25. संजय सिंह पिता जय नारायण सिंह, गाँव-कजरी राहिका विश्वासपुर, पोस्ट- डगरुआ हाट, जिला-पूर्णिया के निवासी।
26. विजय कुमार पिता जय नारायण सिंह, गाँव-कजरी राहिका विश्वासपुर, पोस्ट- डगरुआ हाट, जिला-पूर्णिया के निवासी ।
27. राजेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ राजेश्वर सिंह पिता स्वर्गीय देवी प्रसाद सिंह, गाँव-बागमुसा, थाना- हाजीपुर, जिला वैशाली, वर्तमान में मोहल्ला निवासी-शहजादपुर अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली।
28. पंकज कुमार पिता स्वर्गीय देवी प्रसाद सिंह, गाँव-बागमुसा, थाना-हाजीपुर, जिला- वैशाली के निवासी, वर्तमान में मोहल्ला-शहजादपुर अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली के निवासी ।
29. पवन कुमार पिता स्वर्गीय देवी प्रसाद सिंह, गाँव-बागमुसा, थाना-हाजीपुर, जिला- वैशाली के निवासी, वर्तमान में मोहल्ला-शहजादपुर अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली के निवासी ।
30. मुन्नी सिन्हा पति बिशेश्वर प्रसाद सिंह और पिता राजेश्वर प्रसाद सिंह, गाँव-मक्कनपुर, थाना- जंदाहा, जिला-वैशाली की निवासी ।
31. अर्चना सिन्हा पति अशोक कुमार सिंह और पिता राजेश्वर प्रसाद सिंह, गाँव-डुमरी सुई, थाना और पोस्ट- राजापाकर, जिला-वैशाली।
32. श्रीमती सुमित्रा देवी पति महेंद्र सिंह और पिता स्वर्गीय बिहारी सिंह, गाँव- चेचर, थाना- देसरी, जिला- वैशाली की निवासी।
- 33.1. गीता देवी पति स्वर्गीय राज देव सिंह, निवासी गांव- बिंगी (बरगांव) थाना- व्यावर, जिला- कटिहार।
- 33.2. बेबी देवी पति राम नाथ सिंह, निवासी गांव- बिंगी (बरगांव) थाना- व्यावर, जिला- कटिहार।
- 33.3. कबुतरी देवी, पति बसिष्ठ नारायण सिंह, निवासी ग्राम-लोधीपुर दूध, वार्ड संख्या 7, थाना- जंदाहा, जिला-वैशाली।

34. मुलिया देवी पति नागेश्वर सिंह और पिता ठाकुर सिंह, निवासी गाँव- चकसीकंदर, थाना- जंदाहा, जिला-वैशाली, वर्तमान में मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
35. शारदा देवी पति ब्रज किशोर सिंह और पिता ठाकुर सिंह, निवासी मोहल्ला- बागमती और थाना-हाजीपुर, जिला- वैशाली, वर्तमान में मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली।
36. शीला देवी पति रामेश्वर सिंह, निवासी ग्राम- बेदौलिया, थाना- जंदाहा, जिला- वैशाली और वर्तमान में मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली।
37. सरस्वती देवी, पिता राम प्रसाद सिंह, निवासी मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
38. यशोधरा देवी, पिता- राम प्रसाद सिंह, निवासी मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला-वैशाली।
39. वितैया देवी पिता राम प्रसाद सिंह, निवासी मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
40. राजो देवी पिता राम प्रसाद सिंह, मोहल्ला- शहजादपुर अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।

.....प्रतिवादी/ओं

=====

के साथ

प्रथम अपील सं. 326/1986

=====

गंगा बिशुन सिंह, पिता स्वर्गीय श्री बिहारी सिंह, निवासी मोहल्ला- शाजादपुर, अंदरकिला शहर एवं थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सुरेश प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।

2. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला, और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
3. मसोमात गुलाबो देवी पति स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
4. सरस्वती देवी पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
5. जसोदिया देवी पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला-अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
6. बिटैन देवी पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला- वैशाली।
7. राजो देवी पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 8.1. मीरा देवी पति स्वर्गीय शिव नाथ सिंह की पति, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना-हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 8.2. संजय सिंह, पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 8.3. सुधीर सिंह, पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 8.4. बिक्रम सिंह, पिता- स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 8.5. सुभाष सिंह, पिता स्वर्गीय शिव नाथ सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 8.6. रानी देवी पति राज कुमार सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 8.7. गुंजा कुमारी पिता स्वर्गीय शिवनाथ सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 9.1. गीता देवी पति स्वर्गीय राज देव सिंह, निवासी ग्राम- बिंगी (बरगाँव), थाना- व्यावर, जिला- कटिहार।

- 9.2. बेबी देवी पति रामनाथ सिंह, निवासी ग्राम- बिंगी (बरगाँव), थाना- व्यावर, जिला- कटिहार।
- 9.3. कबुतरी देवी पति बशिष्ठ नारायण सिंह, ग्राम लोदीपुर दूध, वार्ड सं.07, थाना- जंदाहा, जिला- वैशाली।
10. फुलिया देवी पति नागेश्वर सिंह, गाँव शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
11. शारदा देवी पति ब्रज किशोर सिंह, गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
12. शिला देवी पति रामेश्वर सिंह, पिता- स्वर्गीय श्री ठाकुर सिंह, गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 13.1. उषा देवी पति स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह, गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 13.2. किशोर कुमार सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 13.3. कृष्ण कुमार सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 13.4. दिलीप कुमार सिंह पिता स्वर्गीय अशोक कुमार सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 13.5. अनूप कुमार सिंह पिता अशोक कुमार सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
- 13.6. सरिता देवी पति श्री बच्चा सिंह, पिता- स्वर्गीय हरिहर सिंह, निवासी गाँव- मीरगंज, थाना- मीरगंज, जिला- गोपालगंज।
- 13.7. मुन्नी देवी पति श्री राज बहादुर सिंह, पिता- स्वर्गीय हरिहर सिंह, निवासी गांव- मीरगंज, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज।
14. नगीना सिंह पिता स्वर्गीय श्री बिहारी सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
15. मसोमात जानकी देवी पति स्वर्गीय श्री बिहारी सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।

16. शीला देवी पति सरजुग सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
17. शांति देवी पति जय नारायण सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
18. शकुंतला देवी पति राजेश्वर सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।
19. सुमित्रा देवी पति महेंद्र सिंह, पिता- स्वर्गीय श्री बिहारी सिंह, निवासी गाँव- शहजादपुर, मोहल्ला- अंदरकिला और थाना- हाजीपुर, जिला- वैशाली।

.....प्रतिवादी /ओं

=====

उपस्थिति:

(प्रथम अपील संख्या- 84/2016 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री भोला कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के लिए : श्री नरेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता

(प्रथम अपील संख्या 326/1986 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के लिए : श्री नरेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

सी. ए. वी. निर्णय

तिथि: 20-11-2024

1. प्रथम अपील संख्या 326/1986, वैशाली के विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश तृतीय द्वारा हाजीपुर में विभाजन वाद संख्या 26/1981 में पारित दिनांक 08.04.1986 के प्रारंभिक डिक्री के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी के विभाजन के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विरुद्ध बिना किसी लागत के तथा अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से डिक्री किया था। यह माना गया कि वादी (मृतक राम प्रसाद सिंह के पुत्र और विधवा) तथा प्रतिवादी संख्या 14 से 17 (मृतक राम

प्रसाद सिंह की पुत्रियां) को वाद की संपत्तियों में 1/3 हिस्सा मिला है तथा प्रतिवादियों से बनी दो शाखाओं, बिहारी सिंह और ठाकुर सिंह की शाखाओं को वाद की संपत्तियों में 1/3 हिस्सा मिला है। तदनुसार, प्रारंभिक डिक्री बनाने का निर्देश दिया गया।

2. विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश तृतीय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा विभाजन वाद (एफ.डी.) मामला संख्या 26/1981 में पारित दिनांक 01.08.2016 के अंतिम निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 84/2016 प्रस्तुत की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.04.1986 के प्रारंभिक डिक्री में उल्लिखित भूमि में से वादी के लिए एक अलग पट्टा बनाने के लिए प्लीडर कमिश्नर की दिनांक 29.09.2004 की रिपोर्ट की पुष्टि की है।

3. उपरोक्त दोनों अपीलें एक ही विभाजन वाद संख्या 26/1981 में क्रमशः प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री से उत्पन्न हुई हैं, तदनुसार, पक्षों की सहमति से, उनकी एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

4. सुविधा के लिए, पक्षकारों को विचारण न्यायालय के समक्ष उनकी स्थिति के संदर्भ में भेजा जाएगा।

5. वादीगण ने यह दावा करते हुए उपरोक्त वाद दायर किया कि नथुनी सिंह के तीन पुत्र थे, जिनके नाम बिहारी सिंह, ठाकुर सिंह और राम प्रसाद सिंह थे। नथुनी सिंह की अपने तीनों पुत्रों के साथ बहुत पहले मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात बिहारी सिंह परिवार के कर्ता बने, जिनकी मृत्यु 1976 में हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात ठाकुर सिंह (प्रतिवादी संख्या 5) संयुक्त परिवार के कर्ता बने। राम प्रसाद सिंह की मृत्यु के पश्चात वादी संख्या 1 और 2 पुत्रों के रूप में तथा वादी संख्या 3 उनकी विधवा के रूप में रह गई। प्रतिवादीगण बिहारी सिंह और ठाकुर सिंह (राम प्रसाद सिंह के भाई) की शाखाओं के सदस्य हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 पुत्र हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4 स्वर्गीय बिहारी सिंह की पत्नी है। ठाकुर सिंह प्रतिवादी संख्या 5 है। उनके पुत्र शिवनाथ सिंह प्रतिवादी संख्या 6 हैं तथा संयुक्त परिवार की सम्पत्तियों से संबंधित सभी कागजात उनके कब्जे में हैं। राम प्रसाद सिंह की

मृत्यु लगभग 15 से 16 वर्ष पूर्व (निर्णय की तिथि से) अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से हुई थी। सभी पारिवारिक संपत्तियां संयुक्त हैं। कुछ संपत्तियां परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर अर्जित की गई हैं। वाद की भूमि पर पक्षकारों की सुविधानुसार अलग-अलग खेती की जा रही है, लेकिन मेट्स और बाउंड्री द्वारा कोई विभाजन नहीं किया गया है। इससे वाद की भूमि पर खेती करने में असुविधा होती है और अक्सर पक्षों के बीच विवाद होता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादियों से अनुरोध किया कि वे विभाजन का पंजीकृत विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हों। हालांकि, प्रतिवादी उक्त अनुरोध से सहमत नहीं हुए और इसलिए वाद दायर किया गया। वादीगण ने वाद की संपत्तियों में 1/3 हिस्सा मांगा है और इसके सीमांकन के लिए प्रार्थना की है। वादीगण की ओर से दायर याचिका पर प्रतिवादी संख्या 14 से 17 (राम प्रसाद सिंह की पुत्री) को पक्षकार बनाया गया (दिनांक 26.08.1985 के आदेश के अनुसार) तथा मुकदमे की संपत्ति के कुछ भाग के क्रेता को जोड़ने की प्रार्थना को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन मुकदमे में आवश्यक पक्षकार न होने के कारण खारिज कर दिया गया।

6. प्रतिवादी सं.1 और 2, प्रतिवादी सं.3 और प्रतिवादी संख्या 14 से 17 की ओर से तीन अलग-अलग लिखित कथन वाद में क्रमशः दायर किया गया है। प्रतिवादी सं.3 नगीना सिंह जो अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.2 का भाई है, ने अपने दिनांक 31.08.1982 के लिखित कथन में वादी के मामले का समर्थन किया गया है कि पक्षों के बीच सीमा के साथ कोई विभाजन नहीं हुआ है और वे अलग से खेती कर रहे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अलग अव्यवस्थित स्थिति बनाए हुए हैं। यह आगे कहा गया है कि विभाजन के लिए बातचीत हुई थी लेकिन कुछ पंचों की मिलीभगत के कारण विभाजन नहीं हुआ था।

7. प्रतिवादी संख्या 14 से 17, जो मृतक राम प्रसाद सिंह की पुत्रियां हैं, ने अपने संयुक्त लिखित बयान दिनांक 28.08.1985 में वादीगण के मामले का समर्थन किया है तथा वाद की संपत्तियों के विभाजन की मांग की है, लेकिन उन्होंने संशोधन याचिका में

वादीगण के इस दावे का खंडन किया है कि उन्होंने वादीगण के पक्ष में अपना हिस्सा छोड़ दिया है। इन प्रतिवादियों ने इस बात से इनकार किया है कि वाद की भूमि का विभाजन किसी पंचनामा के माध्यम से किया गया था, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने दावा किया है। यह कहा गया है कि दिनांक 28.07.1972 का उक्त पंचनामा अवैध, निष्क्रिय और जाली है, क्योंकि उस समय वादीगण सुरेश प्रसाद सिंह और सिंघेश्वर प्रसाद सिंह नाबालिग थे। वादी संख्या 3 गुलाबो देवी प्रतिवादी संख्या 14 से 17 की संरक्षक नहीं थी क्योंकि वे विवाहित बेटियां थीं और गुलाबो देवी को 1974 के केस संख्या 298 में उनका प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं था और उक्त मामले में कोई भी समझौता उन पर बाध्यकारी नहीं है।

8. प्रतिवादी सं.1 और 2 ने दिनांक 20.03.1982 के लिखित कथन दाखिल करके वाद का विरोध किया है और कहा है कि जिस वाद को तैयार किया गया है वह संधारण योग्य नहीं है। वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। वाद परिसीमन विधि, अवरोध और स्वीकृति द्वारा वर्जित है। वादी के पास प्रतिवादियों के साथ स्वामित्व और कब्जे की कोई एकता नहीं है। वाद की संपत्ति से कुछ भूमि को हटा दिया गया है। इस बात से इनकार किया जाता है कि बिहारी सिंह या ठाकुर सिंह संयुक्त परिवार के कर्ता (प्रबंधक) थे। यह कहा जाता है कि राम प्रसाद सिंह की मृत्यु के बाद, उनके बेटे और पति वादी थे और उनकी चार बेटियाँ (प्रतिवादी सं.14 से 17) को राम प्रसाद सिंह द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों पर कब्जा मिल गया।

9. आगे यह भी कहा गया है कि तीनों शाखाओं को वर्ष 1972 में दिनांक 28.07.1972 के पंचनामा के माध्यम से एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। उन्होंने अपनी संपत्तियों का विभाजन किया और अपने-अपने हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वादी सं.1 और 2 की माँ अर्थात् वादी सं.3 नगरपालिका सर्वेक्षण कार्यवाही में आपत्ति वाद सं.298/1974 में इस तथ्य को स्वीकार किया। पक्ष अपने हिस्से की भूमि के साथ भी अलग

से सौदा भी करते रहे हैं। पक्षकारों को आवंटित भूमि लिखित विवरण की तीन अनुसूचियों में दी गई है। अनुसूची 1 वादी को दी गई, अनुसूची 2 बिहारी सिंह को दी गई और अनुसूची 3 ठाकुर सिंह को दी गई। कुछ भूमि, जिसमें एक शौचालय और बगीचे शामिल हैं, को तीन शाखाओं के बीच विभाजित नहीं किया गया था, लिखित विवरण की अनुसूची 4 में दिया गया है। विभाजन के बाद, सभी पक्षों ने कुछ भूमि बेच दी लेकिन खरीदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए, वाद आवश्यक पक्षों के गैर-याचिकाकर्ता के लिए बुरा है। पुनरीक्षण सर्वेक्षण प्रविष्टि सही ढंग से तैयार की गई है। चूँकि वाद की भूमि पहले ही विभाजित की जा चुकी है, इसलिए वर्तमान वाद को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

10. दलीलों के आधार पर और साथ ही पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया:-

- (i) क्या विरचित किए गए वाद को बनाए रखा जा सकता है?
- (ii) क्या वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण या वाद करने का अधिकार है?
- (iii) क्या पक्षों के बीच स्वामित्व और कब्जे की एकता है?
- (iv) प्रतिवादी सं.1 और 2 द्वारा स्थापित पिछले विभाजन की कहानी सही है?
- (v) क्या वादी एक डिक्री के हकदार हैं जैसा कि दावा किया गया है?

11. विद्वान विचारण न्यायालय पक्षकारों को सुनने और साक्ष्य पर विचार करने के बाद वादियों के पक्ष में मुद्दों का निर्णय करता है। मुद्दा सं.(i) पर जोर नहीं दिया गया है और मुद्दा संख्या (iii) और (iv) जो मुख्य मुद्दे हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, उन पर विचार करने के लिए एक साथ विचार किया गया और वादी के पक्ष में निर्णय लिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रतिवादीगण पिछले विभाजन को सिद्ध करने में विफल रहे। मुद्दा संख्या(ii) और (v) का भी वादी के पक्ष में निर्णय लिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी को वाद लाने के लिए कार्रवाई का कारण मिला है और वे विभाजन के लिए एक डिक्री के हकदार हैं, तदनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ

वादी के वाद को बिना किसी लागत के तथा अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से डिक्री किया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया जैसा कि ऊपर कहा गया है कि वादी और प्रतिवादी संख्या 14 से 17 तक को वाद की संपत्तियों में एक तिहाई हिस्सा मिला है और बिहारी सिंह और ठाकुर सिंह के प्रतिवादियों वाली दो शाखाओं को वाद की संपत्तियों में एक तिहाई हिस्सा मिला है और तदनुसार प्रारंभिक डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

12. उक्त प्रारंभिक डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील संख्या 326/1986 में इसे चुनौती दी।

13. विभाजन वाद का निर्णय दो चरणों में किया जाता है, अर्थात् प्रथम चरण में प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है तथा द्वितीय चरण में अंतिम डिक्री पारित की जाती है। प्रारंभिक डिक्री का पारित होना अंत में वाद का निर्णय नहीं करता है। अंतिम डिक्री तैयार करना उसी वाद की निरंतरता है। विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री केवल पक्षों के अधिकारों और संयुक्त परिवार या सह-आंशिक संपत्ति में उनके हिस्सों की घोषणा है, जो वाद का विषय है। सह-भागीदार या सह-भागीदार द्वारा विभाजन के वाद में, न्यायालय को केवल वादी के हिस्से के लिए डिक्री नहीं देनी चाहिए, उसे सभी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने के बाद उनके हिस्सों पर विचार करना चाहिए और फिर एक प्रारंभिक डिक्री पारित करनी चाहिए। प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद, अंतिम डिक्री पारित होने तक वाद जारी रहता है। अंतिम आदेश में मापों और सीमाओं द्वारा विभाजन को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। प्रारंभिक डिक्री के बाद दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVI नियम 14 के तहत सर्वेक्षण जानने वाले प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति के साथ-साथ प्रतिवेदन की स्वीकृति के माध्यम से वाद संपत्तियों का उचित सीमांकन किया गया और यही कारण है कि उपरोक्त घटना द्वारा शासित दो स्वतंत्र चरणों के विभाजन को किया गया है, जिसके बाद क्रमशः अपील दायर की जानी है।

14. दिनांक 08.04.1986 के प्रारंभिक निर्णय के अनुसार पक्षों को संबंधित शेयर आवंटित किए गए। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने एक सर्वे नोइंग प्लीडर कमिश्नर नियुक्त

किया, जिसने दिनांक 29.09.2004 को अपनी रिपोर्ट तैयार की और प्रस्तुत की। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवेदन के खिलाफ आपत्तियां उठाई गई जिन्हें खारिज कर दिया गया और विद्वान विचारण न्यायालय ने प्लीडर आयुक्त के प्रतिवेदन की पुष्टि दिनांक 03.10.2015 के आदेश के माध्यम से की और अंतिम डिक्री तैयार करने का आदेश दिया। तदनुसार, आवश्यक गैर-न्यायिक स्टाम्प-पत्र पर 28.07.2016 को अंतिम डिक्री तैयार की गई थी और इसे अधिसूचित किया गया था जिस पर किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। इसलिए, अंतिम आदेश विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जिसे सील कर दिया गया था और 01.08.2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। निर्णय और अंतिम डिक्री के खिलाफ, प्रतिवादी/अपीलार्थी ने प्रथम अपील संख्या 84/2016 दायर की।

15. प्रतिवादी/अपीलार्थी सं.2 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि वादी के पास वाद के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं था क्योंकि पक्षकारों के बीच दिनांक 28.07.1972 (पंचनामा) के समझौते के विलेख द्वारा पहले ही सीमा और सीमा द्वारा विभाजन किया जा चुका था और उक्त समझौते के अनुसार, पक्षकार आवंटित संपत्तियों पर अनन्य अधिकार में आ गए थे। आगे यह भी कहा गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार इस बात पर विचार करना चाहिए था कि वादीगण द्वारा आपत्ति वाद संख्या 298/1974 में सहायक सर्वेक्षण अधीक्षक, हाजीपुर के समक्ष समझौता याचिका दायर की गई थी, जिसमें पक्षों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी संपत्तियों को पहले ही मीटर और सीमा के आधार पर विभाजित कर लिया है, इसलिए नए सिरे से विभाजन का कोई सवाल ही नहीं था। विद्वान विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि पक्षकारों ने विभाजन के बाद समय-समय पर कई बिक्री विलेख, वर्ण विलेख आदि को निष्पादित किया था और पक्षकारों की स्थिति से ही पता चलता है कि वे पहले ही विभाजित हो चुके हैं। विद्वान विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि अपीलार्थी अपनी आवंटित संपत्तियों पर शांतिपूर्ण

कब्जे में आ रहा है और वह बिहार सरकार और नगरपालिका को किराया दे रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा किए गए विभाजन के आंशिक दावे को बिना किसी कानूनी आधार के स्वीकार करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया। यह आगे तर्क दिया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत निर्णय दिया है कि सुरेश सिंह पंचनामे के निष्पादन के समय नाबालिग थे और यह नहीं माना कि हस्ताक्षर और एल. टी. आई. भी वादी सुरेश सिंह के अभिभावक द्वारा दिए गए थे, इसलिए, वाद की संपत्तियों पर उनके अधिकार, स्वामित्व और हित को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया गया। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और वादी के बयानों को स्वीकार कर लिया है। यह भी कहा गया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई वैध आपत्ति के मद्देनजर प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करनी चाहिए थी। अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतिम डिक्री निष्पादन योग्य नहीं है क्योंकि यह अस्पष्ट है और भूमि की सीमाओं का उल्लेख विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तैयार किए गए वाद भूमि की अनुसूची में नहीं किया गया है।

16. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सभी पारिवारिक संपत्तियां संयुक्त हैं और पक्षकारों की सुविधा के अनुसार वाद भूमि पर अलग से खेती की जा रही है, लेकिन मापों और सीमाओं द्वारा कोई विभाजन नहीं है। वाद के पक्षकारों द्वारा निष्पादित दिनांक 28.07.1972 का पंचनामा विलेख एक अपंजीकृत दस्तावेज है और सभी वादी पंचनामा/अधिनिर्णय के पक्षकार नहीं थे। वादी सं.1 पंचनामे पर हस्ताक्षर करने वाले सुरेश प्रसाद सिंह 28.07.1972 को नाबालिग थे और वादी सं.2 सिंधेश्वर प्रसाद सिंह ने कभी भी पंचनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए। उक्त दस्तावेज भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (बी) के प्रावधानों से प्रभावित है और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और वादी पर भी बाध्यकारी नहीं है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रतिद्वंद्वी

प्रतिवादी वाद की संपत्तियों के वास्तविक विभाजन को सिद्ध करने में विफल रहे और विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, वाद का सही निर्णय सुनाया जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अपीलों में कोई योग्यता नहीं है।

17. उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों और पक्षों की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरणों के मद्देनजर, प्रथम अपील संख्या 326/1986 में विचारणीय बिन्दु यह है कि "क्या पक्षकारों के बीच वाद सम्पत्तियों पर स्वामित्व और कब्जे की कोई एकता है?"

18. अपने-अपने मामलों के संबंध में, पक्षों ने मौखिक के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए हैं। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.08.2008 पत्र के माध्यम से सूचित किया कि गवाहों और प्रदर्शों के कई बयान गायब थे इसलिए प्रदर्श -4 और अ०सा० 1,2,3,8,9,10 और प्र०सा० -1,2,3,5,9,10 और 11 के बयानों का पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन प्रदर्श संख्या-3,5,6,7 और अ०सा० -4,5,6,7,11,12 और प्र०सा० -4,6,7,8 और 12 के बयानों का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका। आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, दोनों पक्षों की सहमति पर अपीलों की सुनवाई की गई।

19. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक संयुक्त हिंदू परिवार संयुक्त बना रहता है जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध न हो जाए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मिताक्षर विधि विद्यालय द्वारा शासित एक हिंदू परिवार में, भोजन, पूजा और संपत्ति में संयुक्तता की सामान्य धारणा है। संयुक्तता की धारणा चचेरे भाई-बहनों की अपेक्षा भाइयों के मामले में अधिक मजबूत होती है और परिवार के संस्थापक से आगे बढ़ने पर, समय बीतने के कारण सामान्य पूर्वज के साथ संबंध की दूरी के कारण यह धारणा कमजोर हो जाती है। विभाजन केवल उन व्यक्तियों के बीच या उनके बीच हिस्सों का समायोजन है जो संपत्ति में हिस्सेदारी के हकदार हैं। एक हिस्सा, जो अनिर्धारित और अस्पष्ट था, विभाजन होने पर

निश्चित हो जाता है। एक सामान्य नियम के रूप में, एक बार विभाजन किए जाने के बाद, इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है क्योंकि एक शेयर को केवल एक बार विभाजित किया जा सकता है। अलगाव को परिवार के आचरण और उपस्थित परिस्थितियों से सिद्ध किया जा सकता है। संपत्ति, अलग भोजनालय और निवास के साथ अलग-अलग लेन-देन अपने आप में विभाजन सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके संचयी प्रभाव से पता चल सकता है कि पक्षों के बीच विभाजन हुआ था।

20. भोजनालय और निवास में पक्षकारों के बीच अलगाव स्वीकार किया जाता है। एकमात्र अंतर यह है कि वादी के अनुसार, सीमाओं और मापों द्वारा विभाजन नहीं किया गया था, जबकि अपीलार्थी (प्रतिवादी संख्या 2) के अनुसार, 28.07.1972 को सीमाओं और मापों द्वारा विभाजन किया गया था। मुख्य विवाद यह है कि क्या अलगाव केवल भोजनालय, निवास और खेती के संबंध में था या यह पूर्ण विभाजन था।

21. अब, मुझे यह देखना होगा कि क्या इस मामले में साक्ष्य के आधार पर, पूर्व विभाजन का तथ्य स्थापित किया गया है या नहीं।

22. वादीगण ने अपने मामले के समर्थन में अ.सा. 1 दशरथ सिंह, अ.सा. 2 बच्चन सिंह, अ.सा. 3 चन्द्रदेव सिंह, अ.सा. 8 राम दयाल सिंह और अ.सा. 9 सुरेश प्रसाद सिंह (वादी संख्या 1) तथा अ.सा. 10 राम पुकार सिंह से पूछताछ की, जिन्होंने अपने साक्ष्य में कहा कि पक्षकारों के पास मुकदमे की कुछ जमीनें संयुक्त रूप से हैं।

23. अ०सा०- 11 एस. बालेश्वर प्रसाद एक औपचारिक गवाह हैं। अ०सा० 9 सुरेश प्रसाद सिंह, जो वादी सं.1 हैं, उनके साक्ष्य में कहा गया है कि कुछ भूमि पक्षकारों की सुविधा के अनुसार उनके कब्जे में अलग-अलग हैं, जबकि अन्य भूमि पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व में हैं। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि पक्षकारों के बीच विभाजन दिनांक 28.07.1972 के पंचनामा के माध्यम से हुआ था और इस बात से भी इनकार किया है कि उनकी मां ने 1974 का आपत्ति वाद सं.298/1974 परिवार के कर्ता के रूप में दायर

किया था और पुराने विभाजन को स्वीकार किया था। उन्होंने यह भी कहा कि ठाकुर सिंह और शिव नाथ सिंह ने विभाजन वाद सं.100/1975 दायर किया था।

24. जब प्रतिवादियों ने याचिका दायर की कि वाद की संपत्ति का विभाजन पहले ही हो चुका है, तो पिछले विभाजन को सिद्ध करने का बोझ प्रतिवादियों पर है, इसलिए उन्होंने पिछले विभाजन के तथ्य के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे।

25. प्रतिवादियों ने प्र०सा० 1 गंगा बिशुन सिंह (प्रतिवादी संख्या 2), प्र०सा० 5 हीरामन पंडित, प्र०सा० 9 सीताराम चौधरी और आनंदी सिंह से पूछताछ की है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में प्रतिवादी के मामले का समर्थन किया कि वाद के पक्षकार कुछ भू-खण्डों पर अलग से अधिकार में हैं। प्र०सा० -2 ब्रज भूषण प्रसाद औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने चौकीदारी रसीदें (प्रदर्श-ए A से ए/2 तक) प्रमाणित कीं। प्र०सा० -11 एस. रघुवंस नारायण सिंह ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने और अन्य पंचों ने विभाजन किया था जो पंचनामा में कहा गया था। प्र०सा० -3 सरस्वती देवी (प्रतिवादी सं.17) ने अपने बयान में कहा कि पक्षों के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ था। उन्हें और उनकी बहनों को कोई हिस्सा नहीं मिला है।

26. प्र०सा० 1 गंगा बिशुन सिंह ने अपने साक्ष्य में कहा कि पक्षों ने उस संपत्ति को दिनांक 28.07.1972 के पंचनामा के अनुसार विभाजित किया, जिसे विभाजन के समय निष्पादित किया गया था और उसके बाद, पक्षकार वाद की भूमि पर अलग-अलग कब्जे में आ गये हैं और उसके बाद उन्होंने भूमि के कुछ हिस्से को अलग से बेच दिया था, जिस पर खरीदारों का कब्जा है। हाजीपुर शहर में सर्वेक्षण के दौरान और सर्वेक्षण मामले में एक समझौता याचिका दायर की गई थी।

27. जब वादी और प्रतिवादियों द्वारा परीक्षित गवाहों ने पक्षों के संबंधित मामलों का समर्थन किया है, तो ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान मामले में दस्तावेजी साक्ष्यों को बहुत महत्व मिला है।

28. पिछले विभाजन के समर्थन में प्रतिवादी विभाजन के समय निष्पादित दिनांक 28.07.1972 के पंचनामा (प्रदर्श-एच) के विलेख पर निर्भर थे। प्रतिवादी ने यह दिखाने के लिए कि पक्षों ने अपने जमीनों का अलग-अलग सौदा किया, चौकीदारी रसीदें (प्रदर्श.A श्रृंखला), तीन पंजीकृत बिक्री विलेख (प्रदर्श . बी से बी/2) बिहारी सिंह के बेटों द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किया गया है । प्रदर्श. बी/3 अधिकांश द्वारा निष्पादित एक पंजीकृत बिक्री विलेख है जिसका दिनांक 24.06.1975 है जो मसोमात गुलाबिया स्वयं और अपने दो बेटों की अभिभावक के रूप में कमला देवी के पक्ष में 14 धूर भूमि के संबंध में निष्पादित किया गया था। प्रदर्श -सी ठाकुर सिंह द्वारा चुली देवी के पक्ष में निष्पादित बंधक-बंधपत्र है। प्रदर्श . डी 1974 के आपति वाद संख्या 298/1974 में सहायक सर्वेक्षण अधीक्षक, हाजीपुर के समक्ष पहुंची समझौता याचिका की प्रमाणित-प्रति है। प्रदर्श . ई 1974 के वाद संख्या 298/1974 में वादी द्वारा दायर एक आपति याचिका का प्रमाणित-प्रति है। इस याचिका के कंडिका 3 में यह उल्लेख किया गया है कि पक्षों ने सभी संपत्तियों का विभाजन कर दिया है और उनके एक तिहाई हिस्से पर उनका कब्जा है। प्रदर्श . एफ आपति वाद संख्या 298/1974 में पारित आदेश का प्रमाणित-प्रति है। प्रदर्श . जी हाजीपुर नगर पालिका के खाता संख्या 212 के निरंतर खातियों के अर्क का प्रमाणित-प्रति है जो दर्शाता है कि बिहारी सिंह के नाम पर दो भूखंड दर्ज किए गए हैं। प्रदर्श.जे एंड जे/1 दो बयानों का प्रमाणित-प्रति है। प्रदर्श . के. आटा मिल के संबंध में उत्परिवर्तन क्रम का प्रमाणित-प्रति है।

29. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात वाद में सम्मिलित मुद्दे पर निर्णय लिया तथा विवादित निर्णय को दर्ज करते समय कारण भी बताए, जो इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत हैं:-

- (i) पंचनामा विलेख (प्रदर्श-एच) एक अपंजीकृत दस्तावेज है और भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (बी) के प्रावधान से प्रभावित है और साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है।
- (ii) 1974 के वाद सं. 298/1974 में समझौता (प्रदर्श-डी) के अंतर्गत पक्षों की सभी संपत्तियों पर विभाजन को प्रभावित नहीं किया। इसके तहत, एक आटा मिल, उसके बगल की भूमि और डेढ़ कट्ठा मापने वाली भूमि का एक टुकड़ा विशेष रूप से बिहारी सिंह को दिया गया था और शेष भूमि में तीनों पक्षों का हिस्सा बराबर होगा। सुरेश प्रसाद सिंह 1976 में नाबालिग थे जिन्होंने समझौता याचिका पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए यह अमान्य दस्तावेज है। ठाकुर प्रसाद (प्रतिवादी संख्या 5) और प्रतिवादी संख्या 6 के पिता, शिव नाथ सिंह, जो वाद की संपत्तियों के एक तिहाई हिस्से के सह-हिस्सेदार थे, ने उक्त समझौता याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसलिए समझौता याचिका ने वाद की संपत्तियों का विभाजन नहीं किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल आवासीय घर का विभाजन इस विलेख के माध्यम से किया गया था, हालांकि बहुत समझदारी से नहीं।
- (iii) वाद में सभी वादी उक्त पंचनामे के पक्षकार नहीं थे। सुरेश प्रसाद सिंह 28.07.1972 को नाबालिग था और वादी सं.2 पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किया था और यह वादी पर बाध्यकारी नहीं है। प्रतिवादी सं. 14 से 17, जो राम प्रसाद सिंह की बेटियाँ थीं, उक्त पंचनामा/अधिनिर्णय में पक्षकार नहीं थीं।
- (iv) प्रदर्श. 3 प्रवेश पंजिका में एक प्रविष्टि है जो श्री सुरेश प्रसाद सिंह की जन्म तिथि 08.01.1959 के रूप में दिखाती है। प्रदर्श- 4 बिहारी सिंह, ठाकुर सिंह और मसोमात गुलबिया देवी द्वारा स्वयं सुरेश प्रसाद सिंह और सिंघेश्वर सिंह के अभिभावक के रूप में, निष्पादित दिनांक 21.10.1976 का पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रमाणित-प्रति है, जिन्हें 1976 में नाबालिग बताया गया था।
- (v) कोई भी पक्षकार अपनी दलीलों में स्वीकृति से बाध्य नहीं है, सिवाय उस वाद के प्रयोजनों के लिए जिसमें दलीलें दी गई हैं।

30. विभाजन के दस्तावेज़ में, संपत्तियों के विशिष्ट हिस्से को प्रत्येक हिस्सेदार को सीमाओं और मापों द्वारा आवंटित किया जाता है, जिसके लिए पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जो गैर-वसीयती साधन है जो रुपये 100/- और उससे अधिक के मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज बनाने या घोषित करने का उद्देश्य रखता है या संचालित करता है। ऐसे दस्तावेज़ का पंजीकरण न करने का प्रभाव पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 में अधिनियमित किया गया है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 (सी) में अपंजीकृत दस्तावेज़ों को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया गया है। कानून अच्छी तरह से तय है कि विभाजन विलेख को अस्वीकार्य के रूप में अस्वीकार करने के बावजूद, विभाजन के विवरण को सिद्ध करने के लिए अन्य साक्ष्य स्वीकार्य हो सकते हैं।

31. यदि ज्ञापन स्वयं अचल संपत्ति में कोई अधिकार सृजित या समाप्त नहीं करता है, तो उक्त विभाजन ज्ञापन को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि परिवार का कोई सदस्य समान पूर्वज या निकट संबंधी से उत्पन्न होकर अपने मतभेदों और विवादों को समाप्त करना चाहता है, अपने परस्पर विरोधी दावों या विवादित शीर्षकों को एक बार के लिए सुलझाना और हल करना चाहता है, ताकि मन की शांति प्राप्त हो सके और परिवार में पूर्ण सामंजस्य और सद्भावना आए और परिवार में व्यवस्था हो जाने के बाद ज्ञापन के माध्यम से दस्तावेज़ तैयार किया जाता है, ताकि अभिलेख और भविष्य में उपयोग किया जा सके, तो उक्त दस्तावेज़ को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काले एवं अन्य बनाम उप निदेशक चकबंदी एवं अन्य (1976) 3 एस. सी. सी. 119 में प्रतिवेदित मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि समझौते की प्रकृति में पारिवारिक व्यवस्था, जिनपर उस मामले में विचार किया गया था, के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य बनाम

मंजीत कौर और अन्य (2020) 9 एस. सी. सी. 706 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब पक्षकारों के बीच एक पारिवारिक समझौते पर कार्रवाई की गई है तो यह उसी से फिर से जुड़ने के लिए खुला नहीं है और पक्षकारों को इसके विपरीत बहस करने से रोक दिया जाता है।

33. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के. अरुमुगा वेलैया बनाम पी. आर. रामासामी और एक अन्य (2022) 3 एस. सी. सी. 757 में प्रतिवेदित मामले में अभिनिर्धारित किया:

"45. कानून के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त अधिनिर्णय केवल भविष्य में संपत्तियों को विभाजन के वास्तविक विलेख से अलग करने के लिए एक व्यवस्था थी, जिसके तहत न केवल स्थिति का विभाजन होता है, बल्कि विशिष्ट संपत्तियों में संयुक्त परिवार की संपत्तियों का विभाजन भी होता है। इसलिए इसे अधिनियम की धारा 17 (2) (v) के तहत पंजीकरण से छूट दी गई थी। विभाजन का एक दस्तावेज जो भविष्य में संपत्तियों के विभाजन को प्रभावी बनाने का प्रावधान करता है, उसे धारा 17 (2) (v) के तहत पंजीकरण से छूट दी जाएगी। ऐसे मामले में परीक्षण यह है कि क्या दस्तावेज स्वयं किसी विशिष्ट अचल संपत्ति में रुचि पैदा करता है या केवल शीर्षक का एक अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार बनाता है। यदि कोई दस्तावेज अपने आप में अचल संपत्ति में अधिकार या हित नहीं बनाता है, बल्कि केवल एक अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार पैदा करता है, जो निष्पादित होने पर राहत का दावा करने वाले व्यक्ति में एक अधिकार पैदा करेगा, तो पूर्व दस्तावेज को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है राजंगम अय्यर बनाम राजंगम अय्यर [राजंगम अय्यर बनाम

राजंगम अय्यर, 1922 एससीसी ऑनलाइन पीसी 52:ए. आई. आर 1922 पी. सी. 266]”

34. विभाजन के विलेख में, संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी सह-भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते। तत्काल मामले में, स्वीकार्य रूप से, प्रतिवादी संख्या- 4 से 17 जो स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह की बेटियाँ हैं, पंचनामे के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे और उन पर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त दस्तावेज़ (पंचनामा का विलेख) विभाजन का ज्ञापन या समझौता विलेख नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि अपंजीकृत दस्तावेज़ होने के कारण यह भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (बी) के प्रावधान से प्रभावित है।

35. इस न्यायालय ने **(देवकी मल्लाह बनाम सुरजी मल्लाह एवं अन्य) 1999 (1) पी. एल. जे. आर. 199** में दिए गए निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि अनुमान है कि जब तक कोई विभाजन नहीं होता है, तब तक हिंदू परिवार की संपत्ति संयुक्त रहती है। भोजनालय में अलग और सह-भागीदारों के बीच अलग खेती का मतलब यह नहीं है कि मापों और सीमाओं द्वारा विभाजन किया गया था। राजस्व अभिलेख में अलग-अलग कब्ज़ाधारी दर्ज होने पर भी इससे अलगाव या बंटवारा साबित नहीं होता बल्कि इससे यह संकेत मिलता है कि जिन लोगों के पक्ष में कब्ज़ाधारी दर्ज किया गया है, उनके पास अलग-अलग खेती या कब्ज़ा था। लगान रसीदों को भी इसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए।

36. सामान्य नियम यह है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्य के निष्कर्ष को प्रबल होने की अनुमति देनी चाहिए जब तक कि विचारण न्यायालय उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने में विफल न हो और यह असंभव है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मधुसूदन दास बनाम नारायणबाई (मृत) एल.आर.के माध्यम से और (1983) 1 एस. सी. सी. 35** में प्रतिवेदित मामले में अभिनिर्धारित किया है कि:

“8.विचारण न्यायालय की डिक्री के खिलाफ अपील में, जब अपीलीय न्यायालय मौखिक साक्ष्य को चालू करने वाले किसी मुद्दे पर विचार करती है, तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे वह लाभ नहीं है जो विचारण न्यायालय को गवाहों को अपने सामने रखने और जिस तरह से उन्होंने अपनी गवाही दी थी, उसका पालन करने में मिला था। जब किसी मुद्दे पर मौखिक साक्ष्य का टकराव होता है और इसका समाधान गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, तो सामान्य नियम यह है कि अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत तथ्य के निष्कर्षों को प्रबल होने की अनुमति देनी चाहिए, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो कि किसी विशेष गवाह के साक्ष्य के बारे में कुछ विशेष विशेषता विचारण न्यायालय के संज्ञान से बच गई है या इसकी राय को विस्थापित करने के लिए असंभवता का पर्याप्त संतुलन है कि विश्वसनीयता कहाँ है। यह सिद्धांत व्यवहार का है और यह परीक्षण न्यायालय द्वारा तथ्य के निष्कर्ष को दिए जाने वाले महत्व को नियंत्रित करता है। बेशक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून के मामले के रूप में यदि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन एक भौतिक अनियमितता से ग्रस्त है या अस्वीकार्य साक्ष्य पर या साक्ष्य के गलत पढ़ने या अनुमानों और अटकलों पर आधारित है तो अपीलीय अदालत तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का हकदार है।”

37. इस प्रकार, साक्ष्य और कानून का उपरोक्त विश्लेषण यह स्थापित करता है कि वाद संपत्तियों के संबंध में पक्षों के बीच स्वामित्व और कब्जे की एकता है और तदनुसार, वादी विभाजन के लिए एक डिक्री के हकदार हैं। अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.2 मापों और सीमाओं द्वारा विभाजन को सिद्ध करने में विफल रहा। इसलिए, प्रथम अपील सं.326/1986 में निर्धारण के लिए बिंदु अर्थात् वाद संपत्तियों पर पक्षों के बीच स्वामित्व और कब्जे की एकता के संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.2 और उत्तरदाताओं/वादियों के पक्ष में पुनः निर्णय लिया जाता है।

38. कानून के उपरोक्त तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस तथ्य के निष्कर्षों को उलटने के लिए इच्छुक नहीं है कि मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील इस न्यायालय को यह समझाने में सफल नहीं हुए कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया विवादित निर्णय और डिक्री कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुद्दों पर सही ढंग से निर्णय लिया है और दिए गए निष्कर्ष बिल्कुल सही और उचित हैं, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री की पुष्टि की जानी चाहिए। आक्षेपित निर्णय और प्रारंभिक डिक्री में विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है।

39. चूंकि प्रारंभिक निर्णय और डिक्री की पुष्टि हो चुकी है, इसलिए अब दिनांक 01.08.2016 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील सं.84/2016 के गुण-दोष पर विचार किया जाना आवश्यक है जो प्रारंभिक डिक्री पर आधारित है।

40. विद्वान प्लीडर आयुक्त ने बरबादा और विभाजन मानचित्रों के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी (प्रतिवादी संख्या 2) की ओर से दिनांक 06.05.2005 की आपति और दिनांक 09.06.2010 की पूरक आपति दायर की गई थी और दिनांक 03.01.2015 के आदेश के अनुसार यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवेदन और आपति याचिका के अवलोकन पर आपति याचिका में कोई वैध आधार नहीं है और उक्त प्रतिवेदन की पुष्टि की गई थी।

41. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता के पास लंबे समय से कुछ भूखंड हैं और विद्वान अधिवक्ता आयुक्त समानता के सुप्रसिद्ध सिद्धांत को लागू करने में विफल रहे हैं कि जहां विभाजन असुविधाजनक है, वहां संपत्ति को कब्जे में

रहने वाले पक्षों के कब्जे में छोड़ दिया जाना चाहिए और उन अन्य लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए जो कब्जे में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्लीडर आयुक्त ने वादी के साथ मिलकर वादी के पक्ष में महंगे और अच्छे आकार के भूखंड आवंटित किए। विभाजन भूखंड - वार नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी के साथ अन्याय हुआ है। उपयुक्त सर्वेक्षण भूखंड संख्या के संदर्भ में भूमि की उचित पहचान संभव है।

42. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पक्षकारों द्वारा बेचे गए भूखंडों, उनके आवासीय घर वाले कब्जे को ध्यान में रखते हुए कुल भूमि के हिस्से के संबंध में विभाजन किया जाता है। भूखण्ड -वार विभाजन विभाजन और पट्टीबंदी के सिद्धांत के खिलाफ है जो ब्लॉक की सघनता, पक्षों की सुविधा के साथ-साथ पक्षों के खरीदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। प्लीडर आयुक्त ने विभाजन के तहत भूमि की गुणवत्ता पर विचार करते हुए पक्षों के बीच विभाजन के तहत भूमि का विभाजन किया है, जो कि बरवाड़ा (एक मजार में भूमि के क्षेत्र का एक मोटा अनुमान) और प्लीडर आयुक्त द्वारा तैयार किए गए बटवाड़ा (विभाजन) मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है।

43. प्रथम अपील संख्या 84/2016 में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सर्वेक्षण जानने वाले अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट को स्वीकार करने में कोई गलती की है?

44. प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट को स्वीकार करने के संबंध में, **चंदन मुल इंद्र कुमार बनाम चिमनलाल गिरधरदास** के मामले में प्रिवी काउंसिल के अक्सर उद्धृत निर्णय को एआईआर 1940 पीसी 3 में रिपोर्ट किया गया, जो 13 एमआईए 607 में रिपोर्ट की गई न्यायिक समिति के पहले के निर्णय पर आधारित है, को याद किया जा सकता है।

“यह निर्धारित किया गया है कि स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त आधारों को छोड़कर एक लंबी और सावधानीपूर्वक स्थानीय जांच के परिणाम में हस्तक्षेप की निंदा की जानी चाहिए। एक न्यायालय के लिए एक विशेषज्ञ के

रूप में कार्य करना और एक ऐसे आयुक्त की विस्तृत रिपोर्ट को रद्द करना सुरक्षित नहीं है, जिसकी ईमानदारी और सावधानी निर्विवाद है, जिसके कार्य का सावधानीपूर्वक और श्रमसाध्य निष्पादन उसकी रिपोर्ट से साबित हुआ है, और जिसने किसी भी पक्ष के दावों को आंख मूंदकर नहीं अपनाया है।”

45. प्रिवी काउंसिल का उपरोक्त निर्णय अभी भी क्षेत्र में है और भारत में न्यायालयों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है।

46. जुगेश्वर सिंह बनाम रिजान सिंह ए. आई. आर. 1938 पटना 104, के मामले में, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

“...अधीनस्थ न्यायाधीश जब अंतिम निर्णय देता है तो सबसे पहले आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करता है; आयुक्त मौके पर जाता है, पक्षों की दलीलें सुनता है और पक्षों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को सुनता है और फिर अपनी पूरी क्षमता से सीमाओं के अनुसार विभाजन का निर्देश देता है, जिसमें सघनता के तत्व, समानता के तत्व, विभाजित की जाने वाली भूमि की प्रकृति और कई अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है जिन्हें उसे ध्यान में रखना चाहिए और फिर अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायाधीश को सौंपता है। इसके बाद यह किसी भी पक्ष के लिए खुला है, जो आवंटित तख्ते से असंतुष्ट है, वह अधीनस्थ न्यायाधीश से आयुक्त के प्रतिवेदन की अवहेलना करने के लिए कहे; और अधीनस्थ न्यायाधीश फिर से तथ्यों की समीक्षा करता है और आयुक्त के निर्णय को सही करता है।

इसलिए अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश से इस न्यायालय में प्रथम अपील वास्तव में द्वितीय अपील की प्रकृति में है जिसमें केवल कानून और सिद्धांत के प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय के लिए विचाराधीन क्षेत्र में जाना, भूमि का निरीक्षण करना, विभिन्न विरोधियों को सुनना और वास्तव में आयुक्त के निर्णय की समीक्षा करना काफी असंभव है। तथ्यों पर आयुक्त के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति अधीनस्थ न्यायाधीश के लिए एक मामला है, और तथ्यों के बारे में उनका दृष्टिकोण तथ्य पर पहले अपीलीय निर्णय के रूप में अंतिम होना चाहिए। उच्च न्यायालय को

केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब यह दिखाया जाए कि न्यायाधीश ने अपने निर्णय में अंतिम आवंटन करने और डिक्री तैयार करने में सिद्धांत के किसी प्रश्न पर गलती की है।”

47. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने अंबिका भवानी देवी बनाम गौरी कुमारी देवी के मामले में एआईआर (34) 1947 पटना 271 में कहा था कि जहां विभाजन करने के लिए आयुक्त नियुक्त किया जाता है, वहां तथ्यों के आधार पर उसके निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति अधीनस्थ न्यायाधीश के पास है, जिसने अंतिम डिक्री पारित की थी और तथ्यों के बारे में उसका दृष्टिकोण अंतिम होना चाहिए, जब तक कि अंतिम आवंटन करने और डिक्री तैयार करने में सिद्धांत का कोई प्रश्न शामिल न हो।

48. अब वर्तमान मामले पर आते हुए, सर्वेक्षण जानने वाले प्लीडर आयुक्त को नियुक्त किया गया था और उनकी ईमानदारी या सावधानी के बारे में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। वह विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा रखी गई अनुमोदित सूची में से एक थे और पक्षकारों की उपस्थिति में सर्वेक्षण जानने वाले प्लीडर आयुक्त ने स्थानीय जांच की और बरबादा और विभाजन मानचित्रों के साथ विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

49. उक्त प्रतिवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्लीडर आयुक्त को दिनांक 08.04.1986 के डिक्री में उल्लिखित भूमि से वादी के लिए एक अलग पट्टी बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। प्लीडर आयुक्त ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 05.03.1988 को दर्ज की, जिसके खिलाफ प्रतिवादी सं.2/अपीलार्थी ने आपत्ति दायर की और प्रतिवेदन पर आपत्ति सुनने के बाद, प्लीडर आयुक्त को सही और वैज्ञानिक माप के बाद और पक्षों को जानकारी देने के बाद भी एक नया प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया। पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को नोटिस दिया गया था। दिनांक 29.09.2004 की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय निरीक्षण और आवश्यक माप पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में किया गया था। विभाजन का कार्य पक्षों और उनके खरीदार की सुविधा के संतुलन और जहां तक व्यवहार्यता

है, पक्षों के ब्लॉक की सघनता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बारवाड़ा वादी के लिए डी-15 से डी-18 के साथ एक तिहाई हिस्से के लिए और डी-15 से डी-18 को छोड़कर प्रतिवादियों के लिए दो तिहाई हिस्से यानी अवशिष्ट हिस्से के लिए बारवाड़ा तैयार किया गया था।

50. केवल आपति दर्ज करके सर्वेक्षण जानने वाले प्लीडर आयुक्त के प्रतिवेदन पर आपति दर्ज कर उसे चुनौती देना उचित नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सर्वेक्षण जानने वाले प्लीडर आयुक्त के प्रतिवेदन को स्वीकार करने और अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपति को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, प्रथम अपील सं. 84/2016 में निर्धारण के लिए बिंदु अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.2 और उत्तरदाताओं/वादियों के पक्ष में तय किया जाता है।

51. इस प्रकार, मुझे आक्षेपित निर्णयों और फरमानों (प्रारंभिक और अंतिम) में कोई कमजोरी नहीं मिलती है, जिसके लिए विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष की एतद्वारा पुष्टि की जाती है।

52. परिणामस्वरूप, मुझे दोनों अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिली। तदनुसार, दोनों अपीलों प्रथम अपील संख्या 326/1986 और प्रथम अपील संख्या 84/2016 विफल हो जाती हैं और खारिज की जाती हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी।

53. विचारण न्यायालय के अभिलेखों को तुरंत संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

हरीश/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।